

सेवा में

जन सूचना अधिकारी

विषय- आरटीआई एक्ट 2005 के तहत नीचे दिए गए निम्न बिंदु पर जानकारी दी जाए

बिंदु-1 ओला और उबर कंपनी ने दिल्ली-एनसीआर में टैक्सी सेवा देने के लिए किस विभाग और किस तरह की परमिशन ली गई है। लाइसेंस के नियम और शर्तों की जानकारी मुहैया कराई जाए।

आरटीआई वर्कर

नीरज राठी द्वारा विनोद कौशिक

ए-46 न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली, पिन- 110096

मो- 9911966078